

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशित:- श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

दावा सं0

21.03.2022

12.10.22

119/22

उनवान

1. शुभराम पहाड़िया पुत्र श्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी सरोडकला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र श्री प्यारेलाल जाति जाटव निवासी घासौली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
2. अनमा पत्नी प्रेम
3. रामावतार
4. मंगतराम पुत्र प्रेम
5. कोयल पुत्री प्रेम
6. रामफल पुत्र प्रेम जाति चमार निवासी जाटका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
7. संतोष देवी बेवा बाबूलाल
8. रचना पुत्री बाबूलाल
9. सपना पुत्री बाबूलाल
10. अजय पुत्र बाबूलाल
11. बलराम पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी कांकरा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
12. भूपसिंह पुत्र मुंशीराम जाति मेघवाल निवासी सांथलका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
13. मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी कांकरा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
14. हरिमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बलाई निवासी किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
15. भूमि धारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)


दफा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

अन्तिम पर्चा डिक्री

वादी की ओर से श्री अजय कृष्ण व्यास एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.10.22 को श्री गंगाधर मीणा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:-

आराजी ख0न0 917 रकबा 0.4400 हे0 में से 7/33 हिस्सा वाके ग्राम जाटका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर को प्राप्त कुरे कायमी रिपोर्ट "प्रदर्श-अ" के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही अलग- अलग खाते कायम कर लगान स्थापित किया जावे, अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन की स्थिति मे पक्षकरान को मिलने वाले हिस्से रकबे , आराजी से ऋण राशि वसूलनीय होगी। कुरे कायमी रिपोर्ट "प्रदर्श-अ" निर्णय व अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न रहेगा।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.10.22 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)